रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275176
CG-DL-E-04082026-275176

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4144] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948
No. 4144] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4320(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण' (PAN: AAALN0639A), जो भारत सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्, -

(क) पट्टे का किराया;

(ख) एफडीआरएस पर बैंकों से मिलने वाला ब्याज;

(ग) आई कार्ड से प्राप्तियां और परमिट शुल्क;

(घ) मानक डिजाइन कारखानों के संबंध में आवंटन शुल्क;

(ङ) खाली पड़े भूखंडों/भवनों के संबंध में नीलामी/बोली राशि;

(च) भूखंड/भवन के संबंध में स्थानांतरण प्रभार;

(छ) भवन योजनाओं की छूट के लिए फॉर्म-I जारी करने के लिए शुल्क;

(ज) भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण शुल्क;

(झ) सेवा प्रदाताओं से साइट उपयोग शुल्क; तथा

(ञ) विविध स्क्रैप/अपशिष्ट की बिक्री से।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण –

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263(9)(ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा; तथा

(ग) गतिविधियों और निर्दिष्ट आय की प्रकृति कर वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल होने पर धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 108 /2026 /फा. सं. 300196/65/2018-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव